मान्‌नीय न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व प्रकरण क्रमांक– /2016 3221 - 9068 - I - 17

श्रीमती कमलादेवी विश्वकर्मा पत्नि स्व. श्री लक्ष्मी प्रसाद विश्वकर्मा आयु लगभग 85 वर्ष निवासी बड़ी देवीजी मंदिर के पास, पुरानी टेहरी, टीकमगढ़ तह. व जिला–टीकमगढ़ म.प्र. ....**आवेदिका**

बनाम

1– म.प्र. शासन द्वारा बन्दोवस्त अधिकारी, राज्य ओरछा वर्तमान भू–अभिलेख शाखा कार्यालय कलेक्टर टीकमगढ़ म.प्र.

2– श्रीमती सुशीला पत्नि स्व. जयराम प्रसाद शर्मा

3– प्रशांत उर्फ टिन्नू तनय स्व. जयराम प्रसाद शर्मा

4– सुनीता, शुभा, मंजुला, सुरेखा पुत्रीगण स्व. जयराम प्रसाद शर्मा सभी निवासी–36कादम्बिनी परिसर वाग मुगलिया, होशंगाबाद रोड, भोपाल म.प्र.

5– संतोष विश्वकर्मा तनय मथुरा बाढ़ई निवासी लालू का चौराहा, हीरापुरा नगरा झांसी (उ.प्र.)

6– गुलशन तनय ओमप्रकाश विश्वकर्मा पुत्र स्व. श्री घनश्याम विश्वकर्मा निवासी ग्राम गुलारा पोस्ट चिरगांय जिला झांसी उ.प्र. ..**अनावेदकगण**

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 एवं सह–पठित धारा 8 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

महोदय जी,

आवेदिका की विनय सादर निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

{1} यह कि, प्रकरण घनश्यामदास विश्वकर्मा बनाम म.प्र. शासन एवं जयराम प्रसाद शर्मा वगैरह का श्रीमान् वंदोवस्त आयुक्त म.प्र. ग्वालियर के यहां प्रकरण क्रमांक 6/अपील/98–99 विचाराधीन था, इस दौरान जयराम प्रसाद शर्मा पुत्र स्व. श्री मुरली बाढ़ई के मृत हो जाने के कारण पत्नि सुशीला तथा पुत्र प्रशांत उर्फ टिन्नू एवं पुत्रीयां सुनीता, शुभा, मंजुला, सुरेखा पुत्रीगण जयराम प्रसाद शर्मा को पक्षकार बनाया गया है और मथुरा बाढ़ई पुत्र मुरली बाढ़ई के मृत हो जाने के कारण उनके पुत्र संतोष विश्वकर्मा को पक्षकार बनाया गया, इसी प्रकार घनश्याम पुत्र स्व. मुरली बाढ़ई के मृत हो जाने के कारण उनके पुत्र स्व. ओमप्रकाश विश्वकर्मा के पुत्र श्री गुलशन को पक्षकार बनाया गया है।

{2} यह कि, टीकमगढ किला मौजा में स्थित कृषि भूमि कुआं राधावाग खसरा नंबर 1819 से 1827 तक एवं 1820/2807 से 1820/2809 तक को मेरे निज ससुर, [मेरे पति लक्ष्मी प्रसाद विश्वकर्मा के पिता] स्व. बंशी बाढ़ई आत्मज दामोदर उर्फ दमरू बाढ़ई द्वारा ~~सन्ध्य~~ रियासत ओरछा के समय बंदोवस्त के पूर्व अदालत कमिश्नरी माल के आदेश क्रमांक 1118 दिनांक 15–12–1936 को 41/– रूपये पाव आना (कल्दार) में नीलामी द्वारा क्रय किया गया था, उपरोक्त आदेशानुसार विधिवत 41/– रूपये पावआना (कल्दार) नजराना खजाना तहसील टीकमगढ में जमा किये गये थे, तथा सभी प्रक्रियायें पूर्ण होने के बाद जमींदार सदर पटवारी टीकमगढ़ तहसील द्वारा पट्टा (हक) दिया गया था। रियासत ओरछा का गैरमनकूला नीलामी पट्टा रसीदें अवलोकनार्थ प्रेषित है।

{3} यह कि, तभी से मेरे ससुर बंशी बाढ़ई तथा मेरे पति लक्ष्मी प्रसाद विश्वकर्मा सशरीर एकमात्र काविज होकर खेती करते चले आ रहे हैं उनके बाद मेरे पांचों पुत्र काविज होकर सुरक्षा आदि खेती कार्य कर रहे हैं। घनश्याम, मथुरा, जयराम द्वारा कभी भी खेती नहीं की गयी है, क्योंकि मथुरा बचपन के बाद से झांसी के निवासी हो गये, वहीं रेल्वे में नौकर थे, कभी भी टीकमगढ नहीं आये। जयराम बचपन के बाद अपनी माँ गंचाईबाई के साथ झांसी तथा बाहर रहे, बाहर ही उनकी शिक्षा–दीक्षा हुयी, तथा नौकरी में हमेशा बाहर ही रहे। वर्तमान में जो अनावेदकगण **हैं।** जयराम की

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रेस्टो0 9068–I/2017 जिला टीकमगढ़

कमलादेवी विश्वकर्मा विरूद्ध म0प्र0 शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
02–8–2019	प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 2/ यह रेस्टोरेशन प्रकरण अन्तर्गत धारा 32 एवं सहपठित धारा 8 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत इस न्यायालय में दिनांक 07–1–2017 को प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत दिनांक के पश्चात आवेदक की ओर से आज दिनांक 02–8–2019 तक कोई उपस्थित नहीं है। प्रकरण लगभग 2½ वर्ष लंबित है और आवेदक लगातार अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण के संचालन में रूचि नहीं है। फलस्वरूप यह रेस्टोरेशन आवेदन अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (जे 0के0 जैन) सदस्य	